

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 49/19 ता0 रजु. 16-9-19 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 26-9-19

सरकार

बनाम

रमेश पुत्र किशन लाल चाकड़ कृष्णाद

निर्णय


पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का कृष्णाद ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम कृष्णाद के खसरा न0 28/1 रकवा 0.80 हैक्ट में से रकवा 0.16 हैक्ट किरम भूमि चारागाह पर सम्वत 2076 में श्री रमेश पुत्र किशन लाल चाकड़ कृष्णाद तह0 बयाना ने गोभी फसल अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर विधि विरुद्ध अतिक्रमण किया जाना साबित होता है अतः अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 28/1 रकवा 0.16 हैक्ट वाके ग्राम कृष्णाद से बेदखल किया जाता है। लगान 1.28 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 64/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 26-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना का बिल नम्बर
न. न. सं. 04 के खस नं. 15
दिनांक 30/9/19 को बिल
पैनल्टी नं. 64 कल नीलामी
को आ चुकी है।
हकीम राजेश मेवावा
हकीम कलाश


तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

